

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।
पत्रांक 874 /14- 1, बरेली, दिनांक, 11 सितम्बर, 2018।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।

विषय -

जनपद बरेली में रामपुर-बरेली मार्ग एन.एच- 24 किमी 214-250 दूरी 36 किमी 0 व दूरभाष केन्द्र चौपला बरेली तक क्षेत्रफल 1.08 हे० संरक्षित वन भूमि तथा जनपद रामपुर में रामपुर-स्वार मार्ग पर मुख्य दूरभाष केन्द्र से डायमण्ड चौक एन०एच०-87 पर रामपुर न्यू जेल से बरेली गेट तक किमी 0 186 से 214 दूरी 28 किमी 0 कुल दूरी 29 किमी 0 संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 0.87 हे० कुल योग दूरी 65 किमी 0 तथा कुल योग संरक्षित वन क्षेत्रफल 1.95 हे० में बिना वृक्ष पातन भारत संचार निगम लि० मुरादाबाद द्वारा ओएफसी लाईन विछाने की अनुमति/गैर वानिकी प्रयोग हेतु समेकित प्रस्ताव। Online Proposal No. FP/UP/Others/23650/2017 ,
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2782/ओएफसी-बीएसएनएल, (बरेली/रामपुर /23650/2017), दिनांक 28.03.2018, आपका पृष्ठांकित पत्रांक 3577/14-1, दिनांक 06.04.2018।

सन्दर्भ:-

महोदय,


कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.03.2018 के अन्तर्गत लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रत्युत्तर/अनुपालन आख्या भारत संचार निगम लि०, एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर से प्राप्त हो गयी है। अतः बिन्दुवार आख्या सहमति सहित प्रेषित की जा रही है तथा संशोधित प्रस्ताव मूल 04 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहा है।

क्र.सं.	आपत्ति/निर्देश	प्रत्युत्तर/अनुपालन आख्या
01	02	03
01	सर्वे आफ इण्डिया के 1:50000 स्केल के मूल टोपोशीट पर प्रभागवार टाइटिल शीर्षक प्रस्तावित वन भूमि एवं लीजेण्ड अंकित कर संलग्न नहीं किया गया है। संशोधित टोपोशीट ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करे।	सर्वे आफ इण्डिया के 1:50000 स्केल के मूल टोपोशीट पर प्रभागवार टाइटिल शीर्षक प्रस्तावित वन भूमि एवं लीजेण्ड अंकित कर दिया गया है। संशोधित टोपोशीट ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है
02	प्रस्ताव के साथ अनेको अभिलेख यथा परियोजना की स्वीकृति, मानक शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्तावित स्थल के डिजिटल मैप की प्रति प्रस्तावक की पावर आफ अटानी ऑन लाईन पार्ट-1 की प्रति, ऑफ लाईन पार्ट-4 व 5 की प्रति, जस्टीफिकेशन नोट की प्रति, एन०एच०ए०आई० की अनापत्ति आदि अभिलेख दो प्रति में संलग्न किये गये हैं, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। ऐसे अभिलेख एक प्रति में संलग्न करे। जिन अभिलेखों से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षरित करने की आवश्यकता है, उन अभिलेखों में दोनों प्रभागीय निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये।	निर्देशानुसार अभिलेख पृथक कर दिये गये हैं तथा सम्बन्धित अभिलेखों पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
03	ज्ञातव्य हो कि मैदानी क्षेत्रों में 20 हे० से अधिक प्रभावित होने वाले प्रस्तावों में लागत-लाभ विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अतः पृष्ठ 138 व 139 पर संलग्न अभिलेखों को प्रस्ताव से पृथक कराने का कष्ट करे।	निर्देशानुसार अभिलेख पृथक कर दिये गये हैं
04	रामपुर में प्रभावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि पर रोपण 10 वर्षों के अनुरक्षण व अनुमानित वृद्धि सहित वृक्षारोपण का	रामपुर में प्रभावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन निर्देशानुसार प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है तथा ऑन

	प्राकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करे तथा ऑन लाईन पार्ट-2 के बिन्दु 13 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण अपलोड करे।	लाईन पार्ट-2 के बिन्दु 13 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण अपलोड कर दिया गया है।
05	बरेली में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है, संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करे।	बरेली में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दी गयी है, संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
06	उक्तानुसार रामपुर में भी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑन लाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करे।	उक्तानुसार रामपुर में भी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑन लाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
07	रामपुर में क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी बचनवद्धता प्रभागीय निदेशक,रामपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। प्रतिहस्ताक्षरित बचनवद्धता ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करे।	रामपुर में क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी बचनवद्धता प्रभागीय निदेशक,रामपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दी गयी है। प्रतिहस्ताक्षरित बचनवद्धता ऑन लाईन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
08	ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.02.2009 मे दिये गये निर्देशानुसार विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में एन0पी0वी0 से छूट प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करना औचित्यहीन है। प्रस्ताव के पृष्ठ 52 व 53 पर संलग्न गणना को पृथक कराने का कष्ट करे।	निर्देशानुसार पृथक कर दिया गया है।
09	बरेली के ऑन लाईन पार्ट-2 के बिन्दु 07 की अंकित सूचना त्रुटिपूर्ण है।	बरेली के ऑन लाईन पार्ट-2 के बिन्दु 07 की अंकित सूचना संशोधित कर दी गयी है।
10	ऑन लाईन पार्ट-1 पर क्षतिपूरक वनीकरण की बचनवद्धता अपलोड नहीं है।	ऑन लाईन पार्ट-1 पर क्षतिपूरक वनीकरण की बचनवद्धता अपलोड कर दी गयी है।
11	बरेली के ऑन लाईन पार्ट-2 के Additional Information Details में अपलोड अभिलेखों की भाँति रामपुर के ऑन लाईन पार्ट-2 के Additional Information Details में भी अभिलेखों को अपलोड कराने का कष्ट करे।	बरेली के ऑन लाईन पार्ट-2 के Additional Information Details में अपलोड अभिलेखों की भाँति रामपुर के ऑन लाईन पार्ट-2 के Additional Information Details में भी अभिलेखों को अपलोड कर दिये गये है।
12	दोनों प्रभागों के ऑन लाईन पार्ट-2 के बिन्दु-14 पर अद्यावधिक स्थिति अपलोड कराने का कष्ट करे।	दोनों प्रभागों के ऑन लाईन पार्ट-2 के बिन्दु-14 पर अद्यावधिक स्थिति अपलोड कर दी गयी है।
13	प्रस्ताव के साथ आफ लाईन पार्ट--1 व 2 की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक कराने का कष्ट करे।	निर्देशानुसार पृथक कर दिया गया है।

14	प्रस्ताव के पृष्ठ-135 पर संलग्न अभिलेख औचित्यपूर्ण नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक कराने का कष्ट करे।	निर्देशानुसार पृथक कर दिया गया है।
15	वन संरक्षक, बरेली के सन्दर्भित पत्र में अंकित दोनो प्रभागों की प्रभावित वन भूमि एवं उसका योग प्रस्ताव से मेल नहीं खाता है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करे।	वन संरक्षक, बरेली के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।
16	उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या व तदनुसार विषय-सूची को अपडेट कराने का कष्ट करे।	उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या व तदनुसार विषय-सूची को अपडेट कर दी गयी है।

संलग्नक:- यथोपरि 04 प्रस्ताव मूल व 01 प्रस्ताव छाया प्रति।

भवदीय,

 (भारत लाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली
 6.9.18

पत्रांक / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
02. प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, रामपुर को उनके पत्रांक 486/35-3, दिनांक 28.08.2018 के सन्दर्भ में।
03. मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, भारत संचार निगम लि0, डी-13/15 देव बिहार कालोनी, मुरादाबाद को उनके पत्रांक डीईटीपी/मुरादाबाद/टी-751, दिनांक 24.08.2018 के सन्दर्भ में।

(भारत लाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

(F/- (Surveyor सर्वेयर) Forest Land Transfar/ BSNL बी एस एन एल - Atv)

